भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-3515**

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

**विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रिक्तियां**

†3515. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

**श्री विजय कुमार हाँसदाक:**

**डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और केंद्र सरकार/सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक रिक्तियों की संख्या से सम्बंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर पंजाब के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और उन्हें अधिक शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष से रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है और पंजाब सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए कितने शिक्षक भर्ती अभियान चलाए गए हैं; और

(घ) क्या पंजाब सहित देश में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग सुलभता और बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने के लिए किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयंत चौधरी)**

(क) से (ग): स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है, क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ती विद्यार्थी संख्या/नए स्कूलों या कॉलेजों की स्थापना के अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। पंजाब राज्य सहित देश भर के स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण रिक्तियों की संख्या का विवरण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है।

जहां तक कॉलेजों का संबंध है, उनमें से अधिकांश राज्य सरकारों/न्यासों/पंजीकृत समितियों/निजी निकायों आदि द्वारा स्थापित किए गए हैं और इन कॉलेजों में शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में आंकड़ों का रखरखाव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों/संविधि/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्था होने के कारण इन संस्थाओं में उनके अपने अधिनियम और विनियमों के अनुसार उनकी संकाय भर्ती की जाती हैं।

संबंधित गवर्नर बोर्ड (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास भर्ती अधिकार निहित हैं।

भर्ती मिशन के अंतर्गत भर्ती अभियान के माध्यम से पंजाब सहित देश भर के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भरी गई शिक्षण रिक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| | केंद्रीय विद्यालय संगठन | नवोदय विद्यालय समिति | उच्चतर शिक्षा संस्था |
|---|---|---|---|
| भरी गई रिक्तियां | 11,733 | 2,007 | 16,507 |

(घ): समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक सुविधाओं की पहुंच और अवसंरचना में अंतराल को समाप्त करना है, जिसमें स्कूलों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, अलग-अलग शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए रैंप आदि का प्रावधान शामिल है।

राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट में देश में सुविधाओं की पहुंच और अवसंरचना में अंतराल को समाप्त करने के लिए कुल 5,090.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पंजाब राज्य के लिए 131.50 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

***